

परिशिष्ट का प्रपत्र

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 791 के प्रश्नांश 'ख' की जानकारी

बैठक दिनांक 23.03.2017

सदस्य श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

त्रिलोक यादव के विरुद्ध गत 06 वर्षों में बैंक को प्राप्त शिकायतें एवं बैंक द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का क्रमांक एवं दिनांक तथा संक्षिप्त विवरण	बैंक द्वारा की गई कार्यवाही
1	श्रीमति शशि यादव ग्राम पंचायत नगेश्री का आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला गुना कं पत्र क्र. 460 दि. 29.7.16 कं माध्यम से बैंक को प्राप्त हुआ है।	पत्र क्र. निल / दि. 23.07.2016 पिछले 12 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत होने से संस्था तूमेन का चार्ज किसी अन्य को दिलाने संबंधी	बैंक द्वारा पत्र क्र. 853 दिनांक 08.08.2016 के द्वारा प्रबंधक लेखा से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में संबंधित के खिलाफ वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई थी।
2	श्री नीरज मनोरिया जिलाध्यक्ष भा.ज.पा अशोकनगर का शिकायती आवेदन आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक भोपाल के पत्र क्र. 2784 दि. 01.11.16 के द्वारा प्राप्त हुआ है।	पत्र क्र. क्यू/ दि. 30.08.2016 12 वर्षों में संस्था तूमेन पर कार्यरत को अन्य जिले में स्थानांतर किया जावे।	श्री नीरज मनोरिया अध्यक्ष भाजपा जिला अशोकनगर द्वारा कलेक्टर महो., जिला गुना को दिनांक 30.12.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया कि श्री त्रिलोक यादव संस्था तूमेन से हटाने हेतु सहकारिता मंत्री को पूर्व में दिये गये आवेदन को नस्तीवद्ध करने प्राप्त हुआ है। जिसके संलग्न -07 सरपंचों के आवेदन भी प्राप्त हुये हैं जिसमें त्रिलोक यादव से कोई शिकायत नहीं है। इस कारण संस्था तूमेन पर पदस्थ रखा जावे।
3	श्रीमति शशि यादव द्वारा माननीय श्री महेन्द्रसिंह जी कालूखेड़ा विधायक महो. को लिखा गया आवेदन जिस पर विधायक महो. द्वारा जिलाधीश महो. गुना को प्रस्तुत किया गया बैंक को प्राप्त हुआ है।	पत्र क्र. निल दि. 25.01.17 त्रिलोकसिंह यादव पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं तत्काल हटाया जावे।	बैंक द्वारा पत्र क्र. 3398 दि. 09.02.17 के द्वारा उप आयुक्त, सहकारिता जिला अशोकनगर को शिकायत के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु भेजा गया है।

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

उप आयुक्त
सहकारिता जिला अशोकनगर

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.